मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र/बी-6/नि0/वि.अनु./मे.धानिका/689/2750 भोपाल दिनांक 29/05/2023

प्रति,

M/S DHANIKA FOODS,
Sarnath Complex, SF-14, ABS Health Care,
Shivaji Nagar, Bhopal (M.P.)।

विषयः-म. प्र. कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम-2009 (यथासंशोधित) के अधीन नवीन विशेष अनुज्ञप्ति स्वीकृत **करने** के संबंध मे।
संदर्भः-आपका आवेदन दिनांक 28/03/2023।

M/S DHANIKA FOODS भोपाल के द्वारा मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम-2009 (यथासंशोधित) **के अधीन** नवीन विशेष अनुज्ञप्ति लिये जाने हेतु प्ररूप-एक मे आवेदन दिनांक 28/03/2023 प्रस्तुत किया गया है जिसमे मध्यप्रदेश की कृषि उपज मण्डी समिति भोपाल, रायसेन, बैरसिया एवं औबेदुल्लागंज के मंडी प्रांगण एवं उपमंडी प्रांगण मे अधिसूचित कृषि उपज ''तिलहन एवं दलहन'' के क्रय हेतु अनुमति चाही गई है।

2 **M/S DHANIKA FOODS** भोपाल के द्वारा विनिर्दिष्ट मंडियों मे खरीदी हेतु प्रतिभूति स्वरूप रूपए 10 लाख की भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भोपाल की एफडीआर दिनांक 26/05/2023 मंडी बोर्ड मे प्रस्तुत की गई है। जिसकी वैधता अवधि दिनांक 26/05/2028 तक है।

3 **M/S DHANIKA FOODS** भोपाल को उक्त मंडी समितियों में अधिसूचित कृषि उपज केवल ''तिलहन एवं दलहन'' के क्रय से संबंधित विक्रेता के साथ प्ररूप-पांच मे करार, प्ररूप-छः विक्रय बाउचर तथा मंडी समिति के कार्यालय मे, क्रय-विक्रय से संबंधित प्ररूप-सात मे पाक्षिकी विवरण, प्ररूप-आठ मे दैनिक क्रय विवरण, उपाबंध-एक अधिसूचित कृषि उपज के विक्रय/निर्गमन के संबंध मे, उपाबंध-दो मे पाक्षिक विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

4 नियम, 2009 (यथासंशोधित) के नियम 4 (दो) में एक से अधिक मंडी क्षेत्रों में अधिसूचित कृषि उपज केवल "तिलहन एवं दलहन" के क्रय हेतु मंडी का नाम का विवरण देना प्रावधानित है, जिसके अनुसार **M/S DHANIKA FOODS** भोपाल **द्वारा समय-समय** पर कृषि उपज के खरीदी/विक्रय के स्थान की मंडी बोर्ड एवं संबंधित मंडी समितियों को यथासमय जानकारी उपलब्ध करवाई जाये।

mail

5 आवेदक को मण्डी अधिनियम, नियम 2009 एवं उपविधि के प्रावधानो तथा ई-अनुज्ञा पोर्टल पर व्यापार के संबंध मे जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना बाध्यकारी होगा।

6 नियम, 2009 (यथासंशोधित) के **नियम 4, 8, 10, 12** के **अनुसार M/S DHANIKA FOODS** भोपाल को कृषि उपज मंडी प्रांगण भोपाल, रायसेन, **बैरसिया**, औबेदुल्लागंज मे अधिसूचित कृषि उपज केवल "तिलहन एवं दलहन" के क्रय-विक्रय के लिए, अनन्तिम रूप से एक वर्ष के लिये यह विशेष अनुज्ञप्ति स्वीकृत की जाती है। विशेष अनुज्ञप्ति प्ररूप-3 मे परिशिष्ट–"अ" पर संलग्न है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

(गौतम सिंह)
प्रबंध संचालक
म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

कार्यालय अधिसूचित प्राधिकारी/कार्यकारी म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल (म.प्र.)

क्र/बी-6/नि0/वि.अनु./मे.धानिका/689/275। भोपाल दिनांक 29/05/2023

प्रतिलिपि:-

1. संयुक्त/उप संचालक, म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय भोपाल/इंदौर/उज्जैन/जबलपुर/सागर/ग्वालियर/रीवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु। **M/S DHANIKA FOODS** भोपाल म. प्र. को नियम, **2009** (यथासंशोधित) के नियम **4** मे उपनियम (2) के अधीन उपरोक्तानुसार नवीन विशेष अनुज्ञप्ति अधिसूचित कृषि उपज केवल "तिलहन एवं धान्य" के लिए स्वीकृत की गई है। विनिर्दिष्ट मण्डी प्रांगण मे विशेष अनुज्ञप्तिधारक से अधिनियम, नियम एवं उपविधियो का पूर्ण पालन सुनिश्चित करावे।
2. सचिव कृषि उपज मण्डी समिति................................ जिला.......................... म. प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। **M/S DHANIKA FOODS भोपाल** म. प्र. को नियम, **2009** (यथासंशोधित) के नियम **4, 8, 10** के अधीन जारी उपरोक्तानुसार विशेष अनुज्ञप्ति (जो अधिसूचित कृषि उपज केवल "तिलहन एवं धान्य" के लिए स्वीकृत की गई है। विशेष अनुज्ञप्तिधारक से अधिनियम, नियम एवं उपविधियो का पूर्ण पालन सुनिश्चित करावे।
3. सहायक संचालक (आई.टी.) म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल। विशेष अनुज्ञप्तिधारी **M/S DHANIKA FOODS भोपाल** मध्यप्रदेश को स्वीकृत नवनी विशेष अनुज्ञप्ति को ई-अनुज्ञा मॉड्यूल मे आवश्यक प्रविष्टि किया जाये।

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

कार्यालय अधिसूचित प्राधिकारी/विपणन
प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल (म.प्र.)

D:\niyaman license\LETTER NEW SANDEEP.docx

परिशिष्ट-अ

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी कार्यालय

किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल

प्ररूप - तीन

(नियम 8 देखिये)

(एक से अधिक मंडी क्षेत्रों मे अधिसूचित कृषि उपज के कारोबार के लिए विशेष अनुज्ञप्ति)

विशेष अनुज्ञप्ति क्रमांक/एस.एल./2023/34 दिनांक 29/05/2023

1. श्री/श्रीमती/कुमारी/मेसर्स **M/S DHANIKA FOODS,** पता - **Sarnath Complex, SF-14, ABS Health Care, Shivaji Nagar, Bhopal (M.P.)** को अधिनियम की धारा-32 क के अधीन निम्नांकित एक से अधिक मंडी क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उपज के कारोबार हेतु तारीख 29 माह मई वर्ष 2023 को विशेष अनुज्ञप्ति अनंतिम रूप एक वर्ष के लिए दी जाती है -:

अनु क्र0	अधिसूचित कृषि उपज का नाम जिसके कारबार हेतु विशेष अनुज्ञप्ति दी गई है/ नवीनीकृत की गई	विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र का नाम, जिसमें कारबार हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है	संबंधित मंडी समिति का नाम	विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र के अधीन अनुमोदित क्रय केन्द्रों के नाम	कारबार का स्थान, कार्यालय का पता	कार्यालय प्रमुख का नाम, पदनाम एवं पता
1.	"तिलहन एवं दलहन"	भोपाल	कृषि उपज मंडी समिति भोपाल जिला भोपाल	-	शिवाजी नगर, एबीएस हेल्थकेयर एसएफ-14, सारनाथ कॉम्पलेक्स, भोपाल	श्री चन्द्रमोहन गुरू मो.नं-6260735106 श्री दीपक मीणा मो.नं-9300007160
2.	"तिलहन एवं दलहन"	रायसेन	कृषि उपज मंडी समिति रायसेन जिला रायसेन	-	शिवाजी नगर, एबीएस हेल्थकेयर एसएफ-14, सारनाथ कॉम्पलेक्स भोपाल	श्री दीपक मो.नं-8982692551

3.	"तिलहन एवं दलहन"	बैरसिया	कृषि उपज मंडी समिति बैरसिया जिला भोपाल	-	शिवाजी नगर, एबीएस हेल्थकेयर एसएफ-14, सारनाथ कॉम्पलेक्स भोपाल	श्री दीपक मीणा मो.नं-9300007160
4.	"तिलहन एवं दलहन"	औबेदुल्लागंज	कृषि उपज मंडी समिति औबेदुल्लागंज जिला रायसेन	-	शिवाजी नगर, एबीएस हेल्थकेयर एसएफ-14, सारनाथ कॉम्पलेक्स भोपाल	श्री दीपक मीणा मो.नं-9300007160

2. इस अनुज्ञप्ति के अधीन अनुज्ञप्तिधारक के लिये यह अनिवार्य होगा कि वह वित्तीय वर्ष मे समस्त क्रय केन्द्रो मे मिलाकर नीचे यथा दर्शित अधिसूचित कृषि उपज की न्यूनतम मात्रा क्रय करे:

अनु क्र0	अधिसूचित कृषि उपज का नाम	प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कय की जाने वाली न्यूनतम मात्रा (मीट्रिक टन में {नियम 4 (2) देखिए}
1	"तिलहन"	2000 मे0टन
2	"दलहन"	2000 मे0टन

3 अनुज्ञप्तिधारी, इस अनुज्ञप्ति के दिये जाने/नवीनीकृत किए जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर विनिर्दिष्ट क्रय केन्द्र पर निम्नलिखित प्रसुविधाएं सृजित करेगा:-

1. इलेक्ट्रानिक वे ब्रिज
2. पेयजल की समुचित व्यवस्था
3. समुचित प्रकाश व्यवस्था
4. पुरूष/महिला के लिये शौचालय की सुविधा
5. शेड की व्यवस्था
6. कृषको के लिये छायादार विश्राम स्थल
7. भुगतान काउन्टर
8. टेक्टर ट्राली की पार्किग की समूचित व्यवस्था
9. नमी, कचरा, क्षतिग्रस्त दानों के प्रतिशत के निर्धारण के लिये उपकरण तथा मानव शक्ति
10. प्रवेश, विक्रय-क्रय, भुगतान तथा तौल काउन्टरों/ क्षेत्रों पर सीसीटीव्ही कैमरे स्थापना।
11. क्रय-विक्रय लेखा की मैन्युअल के साथ ही डिजीटल बैकअप प्रणाली संधारण।

4 यह विशेष अंनतिम अनुज्ञप्ति दिनांक 29/05/2023 से 28/05/2024 तक प्रभावशील रहेगी, परन्तु अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं उपविधियों के उल्लंघन पर किसी भी समय निलंबित या रदद की जा सकेगी।

5 यह अंनतिम अनुज्ञप्ति निम्नलिखित मुख्य आधारों पर निलंबित या रदद की जा सकेगी:-

(एक) विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र मे कृषकों को उनकी कृषि उपज का देय भुगतान न करने पर,

(दो) मण्डी फीस, निराश्रित शुल्क का भुगतान अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन उपबंधों के अनुसार तथा विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर न करने पर,

(तीन) मण्डी फीस का अपंवचन करने, जारी अनुज्ञापत्र, रसीदे या अन्य जाली मण्डी अभिलेखों का संधारण करने तथा जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने या कराया जाना पाये जाने पर,

(चार) मण्डी समितियों या बोर्ड, को देय रकम का सूचना-पत्र के अनुसार समय-सीमा के भीतर भुगतान न करने पर, व्यतिक्रमी पाये जाने पर,

(पॉच) अधिनियम, नियमों तथा उसके अधीन बनाई गयी उपविधियों द्वारा नियत समय-सीमा के भीतर विहित नियतकालिक विवरणियों प्रस्तुत न करने पर,

(छ) बोर्ड, मण्डी समिति से जारी किये गये निर्देशों की अवज्ञा किया जाना पाये जाने पर,

(सात) अधिसूचित कृषि उपज का न्यूनतम विहित मात्रा में क्रय न किये जाने पर

अनुज्ञप्ति जारीकर्ता
कार्यालय की मोहर

अधिसूचित प्राधिकारी/ अधिकारी
कार्यालय
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी
प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल (म.प्र.)